ग्राम पंचायत मुहान, विकास खण्ड आनी, जिला कुल्लू के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.20 से 31.03.22
भाग- एक

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत मुहान, विकास खण्ड आनी, जिला कुल्लू के अवधि 01.04.20 से 31.03.22 के लेखों का अंकेक्षण कार्य, हि०प्र०, राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्र° सं°	नाम	अवधि
1	श्री मस्त राम	01-04-20 से 31-01-21
2	श्री हरीश कुमार	01-02-21 से 23-03-2022
3	श्री गौतम राम	23-03-22 से 31-03-2022

सचिव :-

क्र° सं°	नाम	अवधि
1	श्री हरीकृष्ण	01-04-20 से 31-03-21
2	श्री मनोहर लाल	01-04-21 से 07-08-21
3	श्रीमति रथी देवी	08-08-21 से 08-01-22
4	श्री शिव राम	09-01-22 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत मुहान के लेखों अवधि 01-04-2020 से 31-03-2022 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	**पैरा संख्या**	**अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**राशि (₹ लाखों में)**
1	5 (क)	अनुदान राशि का उपयोग न करना	40.20
2	5 (ख)	अनुदान से व्यय के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	65.97
3	6	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	2.42
4	8	माप पुस्तिका में अत्यधिक कटिंग होने के कारण मस्ट्रोलों का अंकेक्षण संभव न होना ।	11.23
5	9	रोकड़ बहियों व बैंक पास बुकों के शेषों में अन्तर	5.76
6	10	निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्राक्कलन विवरण (work estimate/abstract of cost), माप पुस्तिका व तकनीकी स्वीकृति को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	1.70
7	11	मनरेगा निधि की माप पुस्तिका की गणना में त्रुटि होने के कारण अधिक भुगतान करना	0.15
8	12	क्रय की गई सामग्री से नियमानुसार वाइडस (voids) की कटौती न करने के कारण संविदाकारों को अधिक भुगतान करना	0.15
9	13	आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती कम करने के कारण अधिक भुगतान करना	0.13
10	14	स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करना	0.10
11	15	निर्धारित मजदूरी दर से अधिक दर पर गणना करके अधिक व्यय करना ।	0.06
12	16	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूली बारे	0.01

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत मुहान, विकास खण्ड आनी, जिला कुल्लू के अवधि 01.04.20 से 31.03.22 तक के लेखों का वर्तमान व प्रथम अंकेक्षण श्री संतोष कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 03.09.22 से 16.09.2022 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2020-21	02/21	06/20
2021-22	12/21	03/22

अस्वीकरण :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित रहेगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत मुहान, विकास खण्ड आनी, जिला कुल्लू के अवधि 01.04.20 से 31.03.22 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6400/- आँका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या एस. के./के.एल.यू./एस.ए.डी./2022-236 दिनांक 13.09.22 द्वारा अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत मुहान, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.20 से 31.03.22 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्व: स्त्रौत व अन्य अनुदान :- ग्राम पंचायत मुहान, के अवधि 01.04.20 से 31.03.22 तक की स्व: स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (क)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2020-21	1621746	3474207	5095953	3454285	1641668
2021-22	1641668	2762622	4404290	1912124	2492166

बैंक समाधान विवरणी :-

दिनांक 31.03.22 को सामान्य निधि का अन्तशेष **2492166.00**

दिनांक 31.03.22 को बैंक में जमा व हस्तगत राशि का विवरण :-

क्रम संख्या	खाता संख्या	शाखा का नाम	31.03.22
1	20020005392	कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक ,आनी	379418.00
2	20020005530	कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक ,आनी	274787.00
3	50052224428	कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक ,आनी	145007.00
4	50052224610	कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक ,आनी	435819.00
5	50052224406	कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक ,आनी	625699.00
6	50052224575	कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक ,आनी	136084.00
7	50052224520	कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक ,आनी	13871.00
8	रोकड़ शेष		919.00
		कुल योग	**2011604.00**

(क) दिनांक 31.03.22 को हस्तगत राशि व बैंक खातों में अंतशेष	**2011604.00**
(ख) दिनांक 31.03.22 को वित्तीय/रोकड़ बही अनुसार अंतशेष	**2492166.00**
अन्तर	**- 480562.00**

(ii) 14 वाँ वित्त आयोग:- ग्राम पंचायत मुहान के अवधि 01.04.20 से 31.03.22 तक की 14 वाँ वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ख)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2020-21	1501228.2	0	93561	1594789.2	1147119	447670.2
2021-22	447670.2	0	10872	458542.2	83326	375216.2

बैंक समाधान विवरणी :-

(क) दिनांक 31.03.22 को हस्तगत राशि व बैंक खातों में अंतशेष	470447.4
(ख) दिनांक 31.03.22 को वित्तीय/रोकड़ बही अनुसार अंतशेष	375216.2
अन्तर	**95231.2**

iii) 15 वाँ वित्त आयोग:- ग्राम पंचायत मुहान, के अवधि 01.04.20 से 31.03.22 तक की 15 वाँ वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ग)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2020-21	0	470728	470728	0	470728
2021-22	470728	681462	1152190	0	1152190

बैंक समाधान विवरणी :-

(क) दिनांक 31.03.22 को हस्तगत राशि व बैंक खातों में अंतशेष		1630639
(ख) दिनांक 31.03.22 को वित्तीय/रोकड़ बही अनुसार अंतशेष	1152190	
जमा :- दिनांक 10-03-21 ब्याज की प्राप्ति परंतु 31-03-22 तक रोकड़ बही में दर्ज न करना	3482	
जमा :- दिनांक 23-04-21 को अनुदान की प्राप्ति परंतु 31-03-22 तक रोकड़ बही में दर्ज न करना	240599	
जमा :- दिनांक 01-06-21को अनुदान की प्राप्ति परंतु 31-03-22 तक रोकड़ बही में दर्ज न करना	234368	1630639
अन्तर		**0.00**

(IV) एमजी नरेगा

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2020-21	0	5725366	0	5725366	5725366	0
2021-22	0	7012275	0	7012275	7012275	0

5 (क) अनुदान ₹40.20 लाख का उपयोग न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत मुहान द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.22 तक अनुदान ₹40,19,572.20 की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण **परिशिष्ट (क,ख ,ग**) में दिया गया है जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है। अतः वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) अनुदान से व्यय ₹65.97 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

ग्राम पंचायत मुहान द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी व माहवार आय-व्यय विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि **01.04.2020** से **31.3.2022** तक **₹65,96,854.00** अनुदान राशि का व्यय किया गया था परन्तु इससे सम्बन्धित आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित किये जाने सम्बन्धी कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गये जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **88** की अवहेलना जिसका विवरण **परिशिष्ट (क,ख ,ग)** में दिया गया है। अतः वर्णित उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित संस्थाओं/कार्यालयों को प्रेषित किए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाएं तथा भविष्य में भी उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित संस्थाओं/कार्यालयों को प्रेषित किए जाने के साथ-साथ कार्यालय स्तर पर भी अभिलेख/रिकॉर्ड को संरक्षित किया जाये व प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में आवश्यक सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना

ग्राम पंचायत मुहान द्वारा अंकेक्षण अवधि **01.04.2020** से **31.03.2022** के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम **2002** के नियम **31** की अवहेलना है।

अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. **गृह कर की देय राशि ₹2.42 लाख की वसूली न करना**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम **1994** की धारा **100** तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्ष, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **32** के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर/गृहकर कर वसूली करना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के गृहकर की आय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट (घ)** अनुसार **₹ 241500** की वसूली नहीं की गई थी, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है।

अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. **बिलों को पारित (Payment without pass order) किए बिना ₹33.44 लाख का भुगतान करना**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **49(1)** में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि **04/2020** से **03/2022** के दौरान बिलों को पारित किए बिना ही भुगतान किया गया था जिनमे से कुछ का विवरण दिया गया है।

क्र० स०	**बर्ष**	**निधि का नाम**	**चयनित माह**	**चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि**
1	2020-21	मनरेगा	06/20	1529748.00
2	2021-22	मनरेगा	03/22	1814008.00
कुल				3343756.00

वर्णित प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2022-246 दिनाँक 16.09.22 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मुहान के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ, जोकि स्वतः आपत्तिजनक है।

अतः परामर्श दिया जाता है समस्त भुगतान बिलों पर भुगतान आदेश पारित करने के उपरान्त ही बिलों की अदायगी को सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8. माप पुस्तिका में अत्यधिक कटिंग होने के कारण ₹11.23 लाख के मस्ट्रोलों का अंकेक्षण संभव न होना।

ग्राम पंचायत मुहान के अंकेक्षण के दौरान मनरेगा निधि की माप पुस्तिकाओं व मस्ट्रोल की जांच में पाया गया कि वर्ष 2020-21 में मनरेगा निधि से **₹1122858** की राशि का भुगतान किया गया था। तकनीकी सहायक द्वारा माप पुस्तिका को सक्षम अधिकारी से सत्यापित नहीं करवाया गया था व माप पुस्तिका में अत्यधिक कटिंग व आंकड़े स्पष्ट न होने के कारण माप पुस्तिका का पूर्ण अंकेक्षण संभव नहीं हो सका, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	मस्ट्रोल संख्या	दिनांक	कार्य का नाम	माप पुस्तिका संख्या	पृष्ट संख्या	राशि
1	863	6/6/2020	RWHT ख़ीम दास बशावल	15925	8	11088
2	862	6/6/2020	RWHT कुम्भ राम खड़ोरन	15925	44	8316
3	860	6/6/2020	RWHT हीरा लाल पकरेड	15925	41	11088
4	861	6/6/2020	RWHT नार सिंह पकरेड	15925	17	11088
5	858	6/6/2020	RWHT श्याम लाल ठारवी	15925	10	11088
6	859	6/6/2020	RWHT नन्द लाल खड़ोरन	15925	19	11088
7	856	6/6/2020	पौल्ट्री शैड उगम राम मथारला	15925	32	13860
8	857	6/6/2020	बकरी शैड उगम राम कुंईर	15925	33	12474
9	855	6/6/2020	बकरी शैड चेत राम पुत्र श्री नीका राम	15925	29	5544
10	853	6/6/2020	भूमि सुधार तेजा सिंह शाहणी	15925	15	27720

11	854	6/6/2020	बकरी शैड मोहर सिंह माथवी	15925	37	13860
12	851	6/6/2020	भूमि सुधार चमन लाल खैउग	15925	54	21384
13	852	6/6/2020	भूमि सुधार शांति देवी कोलूधार	15925	47	27720
14	934	6/6/2020	भूमि सुधार पूर्ण चंद शाहणी	15936	7	19404
15	844	6/6/2020	RWHT धर्म चंद शाहणी	15925	20	7128
16	904	6/6/2020	RWHT हरि राम मथारला	15925	66	8316
17	903	6/6/2020	RWHT दीवान सिंह ठारवी	15925	60	11088
18	842	6/6/2020	सिंचाई कुल्ह से मथारला धार	15936	21	23364
19	896	6/6/2020	गौशाला पुने राम बशावल	15925	52	11088
20	907	6/6/2020	RWHT नेत्र सिंह ठारवी	15925	68	11088
21	917	6/6/2020	सोलिंग मेन रोड से ठारवी	15925	77	27720
22	906	6/6/2020	RWHT हेम राज ठारवी	15925	67	11088
23	905	6/6/2020	RWHT कुशल चंद ब्राहाबाग	15925	66	11088
24	897	6/6/2020	भूमि सुधार गोपाल दास कुंईर	15925	55	27720
25	900	6/6/2020	RWHT पदम सिंह खैउग	15925	57	9504
26	916	6/6/2020	भूमि सुधार पदमी देवी पत्नी श्री बुध राम ठारवी	15925	76	27720
27	914	6/6/2020	RWHT अनिल कुमार ठारवी	15925	74	11088
28	913	6/6/2020	RWHT अनूप राम ठारवी	15925	73	11088
29	912	6/6/2020	RWHT पूना राम ठारवी	15925	72	11088
30	911	6/6/2020	RWHT राम लाल ठारवी	15925	71	11088
31	908	6/6/2020	RWHT रमानन्द ठारवी	15925	69	11088
32	920	6/6/2020	सोलिंग मेन रोड से मथारला	15925	79	27720
33	921	6/6/2020	सोलिंग मेन रोड से माहुगा	15925	80	24948
34	919	6/6/2020	सोलिंग मेन रोड से माहुगा	15925	78	27720
35	926	6/6/2020	चैक डैम ठानाधार	15936	1	27720
36	927	6/6/2020	चैक डैम पकरेड नाला से	15936	2	24948

			खडोरण			
37	928	6/6/2020	चैक डैम माथवी 1 से माथवी 2	15936	3	23760
38	929	6/6/2020	चैक डैम धरपोरी चलाथर	15936	4	19008
39	930	6/6/2020	चैक डैम धाराआगू शाहणी	15936	5	27720
40	932	6/6/2020	चैक डैम धारा आगू शाहल ब्राहाबाग	15936	5	22176
41	841	6/6/2020	श्मशान घाट खडोरण	15925	36	19404
42	845	6/6/2020	भूमि सुधार जीत लाल चजूट	15925	18	23760
43	922	6/6/2020	सोलिंग मेन रोड से खडोरण	15925	81	27720
44	846	6/6/2020	भूमि सुधार रवीन्द्र कुमार पुत्र श्री बृज लाल चजूट	15925	9	23562
45	847	6/6/2020	भूमि सुधार ज्ञान चंद चजूट	15925	11	21978
46	849	6/6/2020	भूमि सुधार श्याम दास खैउग	15925	34	21384
47	895	6/6/2020	गौशाला पालू राम जीभि	15925	52	8316
48	894	6/6/2020	भूमि सुधार इन्द्र सिंह ठारवी	15925	51	27720
49	891	6/6/2020	भूमि सुधार यामा नन्द मुहान	15925	48	23760
50	890	6/6/2020	भूमि सुधार वीर सिंह खैउग	15925	30	11880
51	889	6/6/2020	भूमि सुधार आलम चंद खैउग	15925	1	19008
52	888	6/6/2020	भूमि सुधार गोपाल दास मुहान	15925	27	11880
53	886	6/6/2020	भूमि सुधार वीर सिंह खडोरण	15925	3	19404
54	923	6/6/2020	सोलिंग मुख्य सड़क से कुंईर	15925	81	24948
61	893	6/6/2020	भूमि सुधार रमेश चंद शाहणी	15925	50	27720
62	850	6/6/2020	भूमि सुधार मोहन लाल पुत्र श्री लाजे राम रूहा	15925	46	16632
63	873	6/6/2020	छत जल टैंक संतोष कुमार कुईंर	15925	39	11088
64	925	6/6/2020	चैक डैम पाटी घाटाधार	15925	81	27720
65	872	6/6/2020	RWHT भगवान दास कुईंर	15925	38	11088

66	870	6/6/2020	RWHT किशोरी लाल शाहणी	15925	23	13860
67	869	6/6/2020	RWHT भगवान दास माथवी	15925	24	11880
68	868	6/6/2020	RWHT राज कुमार बशावल	15925	26	11088
69	867	6/6/2020	RWHT शालू राम बशावल	15925	25	11088
70	866	6/6/2020	RWHT धर्म सिंह बशावल	15925	38	11088
71	864	6/6/2020	RWHT देश राज बशावल	15925	12	11088
कुल योग						**1122858**

वर्णित अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2022- 240 दिनाँक 14.09.22 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मुहान के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ, जोकि स्वतः आपत्तिजनक है । अत : माप पुस्तिका में अत्यधिक कटिंग करने का कारण स्पष्ट किया जाए तथा माप पुस्तिका में की गयी कटिंग को नियमानुसार तकनीकी सक्षम अधिकारी से स्त्यापित करके तदोपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

9. रोकड़ बहियों का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण दिनांक 31.03.2022 को ₹5.76 लाख का अन्तर

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करने के कारण दिनांक 31.03.2022 को ₹ 575793.20 का अन्तर पाया गया जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 (i),(ii) में दिया गया है। वर्णित अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2022-239 दिनाँक 14.09.22 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ, जोकि स्वतः आपत्तिजनक है ।

अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10. निर्माण कार्यो से सम्बन्धित ₹ 1.70 लाख के निर्माण कार्य के प्राक्कलन विवरण (work estimate/abstract of cost), माप पुस्तिका व तकनीकी स्वीकृति को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के प्रावधानानुसार सभी संकर्म/वर्क्स कार्य जिनकी लागत ₹ 50,000 से अधिक है को पंचायत द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन व प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त ही निष्पादित किया जाना अपेक्षित है तथा ₹ 25,000 से कम के संकर्म/वर्क्स कार्य के लिए अनुमानित लागत प्राक्कलन (Rough work estimate) तैयार किया जाना अपेक्षित है।

व्यय की जॉच हेतु चयनित माह के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा बिना प्राक्कलन/अनुमानित प्राक्कलन, माप पुस्तिका/एम.बी में माप दर्ज न करना, तकनीकी स्वीकृति व निर्माण कार्य से सम्बन्धित बिल में कार्य समिति के अनुमोदन/सत्यापन के बिना ही निर्माण कार्यों को निष्पादित किया गया था। उक्त कारणों से वर्क्स कार्यों की एवज में किये गये भुगतान **₹169634** को नियमानुसार उचित नहीं ठहराया जा सकता, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	मस्ट्रोल/बिल संख्या/दिनांक	कार्य का नाम	मद का नाम	भुगतान राशि
1	श्री श्रवण कुमार गाँव व डाकघर चुरढ , सुंदरनगर जिला मंडी	112/ 29-05-20	मुरम्मत रोड माहुगा नाला से माहुगा धार	एक्सकेवेटर मशीन का प्रयोग 30 घण्टे	30000
2	श्री श्रवण कुमार गाँव व डाकघर चुरढ , सुंदरनगर जिला मंडी	640/ 06-06-20	मुरम्मत रोड मुहान से माथवी	एक्सकेवेटर मशीन का प्रयोग 30 घण्टे	30000
3	श्री श्रवण कुमार गाँव व डाकघर चुरढ , सुंदरनगर	641/ 06-06-20	मुरम्मत रोड बालागाड	एक्सकेवेटर मशीन का प्रयोग 19	19000

	जिला मंडी			घण्टे	
4	मैसर्ज न्यू शर्मा मोटर्स सरकारी ठेकेदार आनी	854/ 07-06-20	मुरम्मत रोड धारापत्थर से शाहनी	एक्सकेवेटर मशीन का प्रयोग 30 घण्टे	30000
5	मैसर्ज न्यू शर्मा मोटर्स सरकारी ठेकेदार आनी	855/ 09-06-20	मुरम्मत रोड माहुगा कैंची से माहुगा नाल	एक्सकेवेटर मशीन का प्रयोग 19 घण्टे	19000
6	-	236/ 12-03-22	निर्माण पक्का रास्ता एवं रिटेनिंग वॉल माथवी	लेबर मस्ट्रोल	22653
7	-	235/ 12-03-23	मुरम्मत रास्ता शाहनी नजदीक महेंद्र सिंह के घर के साथ	लेबर मस्ट्रोल	18981
कुल योग					**169634**

वर्णित अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2022- 247 दिनाँक 16.09.22 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मुहान के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

अतः बिना पूर्ण औचारिकताओं के निर्माण/विकास कार्यों को निष्पादित करने के सन्दर्भ में पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा निर्माण कार्यो से सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं आदि अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार पूर्ण औपचारिकताओं के पश्चात् ही निर्माण कार्य को निष्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

11 मनरेगा निधि की माप पुस्तिका की गणना में त्रुटि होने के कारण ₹ 0.15 लाख का अधिक भुगतान

ग्राम पंचायत मुहान विकास खण्ड आनी जिला कुल्लू हि० प्र०की अवधि 01.04.20 से 31.03.22 के अंकेक्षण के दौरान मनरेगा निधि की माप पुस्तिकाओं की जांच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार माप पुस्तिकाओं के जोड़ों में त्रुटि के कारण **₹ 15415** की मजदूरी का

अधिक भुगतान किया गया था जो कि नियमानुसार वित्तीय अनियमितता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र० स०	मस्ट्रोल संख्या/दिनांक	कार्य का नाम	एम बी संख्या	एम बी पृष्ट संख्या	मस्ट्रोल के अनुसार भुगतान की गयी राशि	एम बी के अनुसार भुगतान राशि	अधिक भुगतान की राशि
1	10206/ 14-03-22	भूमि सुधार घाटा धार	11631	82	22736	17032	5704
2	10221/ 14-03-22	भूमि सुधार बृज लाल ठारवी	11631	76	28420	22812	5608
3	9784/ 09-03-2022	छत जल टैंक कुम्भ राम खडोरण	11631	57	14210	10639	3571
4	10217/ 14-03-22	1 बीघा योजना सुषमा देवी पत्नी श्री अमर चंद	11631	46	42021	41489	532
		कुल योग					**15415**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2022-241 दिनाँक 14.09.22 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मुहान के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि स्वतः आपत्तिजनक है ।

अतः उक्त अनियमितता का नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गयी राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

12. क्रय की गई सामग्री से नियमानुसार वाइडस (voids) की कटौती न करने के कारण संविदाकारों को ₹0.15 लाख का अधिक भुगतान करना

अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु क्रय की गई सामग्री पर निर्धारित दर से वाइडस (voids) की कटौती नहीं की गई थी जबकि नियमानुसार रेत की आपूर्ति पर 5% बजरी की आपूर्ति पर 10 एमएम से लेकर 20 एमएम तक 5% तथा 20 एमएम से लकर 40 एमएम तक 10% और पत्थरों की आपूर्ति पर 12.5% की दर से वाइडस

(voids) की कटौती की जानी अपेक्षित थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा क्रय सामग्री पर इस प्रकार की कोई भी कटौती नहीं की गई थी, जिस कारण आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/फर्म/संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹ 14910 का अधिक भुगतान किया गया था । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र0 सं0	**आपूर्तिकर्ता**	**बिल संख्या /दिनांक**	**मद का नाम**	**भुगतान राशि**	**मात्रा CFT**	**मात्रा CUM**	**वाइड्स कटौती की दर**	**वाइड्स की मात्रा जिसका भुगतान किया गया**	**दर प्रति क्यूबिक मीटर**	**राशि**
1	अनीता राज W/o श्री ईश्वर सिंह ठाकुर	28/ 22-06-20	रेत	9880	156	4.415	5%	0.221	2238	494
2	अनीता राज W/o श्री ईश्वर सिंह ठाकुर	29/ 23-06-20	रेत	9880	156	4.415	5%	0.221	2238	494
3	अनीता राज W/o श्री ईश्वर सिंह ठाकुर	30/ 24-06-20	रेत	9880	156	4.415	5%	0.221	2238	494
4	अनीता राज W/o श्री ईश्वर सिंह ठाकुर	32/ 27-06-20	रेत	9880	156	4.415	5%	0.221	2238	494
5	अनीता राज W/o श्री ईश्वर सिंह ठाकुर	01/ 06-06-20	रेत	9880	156	4.415	5%	0.221	2238	494
6	अनीता राज W/o श्री ईश्वर सिंह ठाकुर	03/ 06-06-20	रेत	9880	156	4.415	5%	0.221	2238	494
7	अनीता राज W/o श्री ईश्वर सिंह ठाकुर	04/ 10-06-20	रेत	9880	156	4.415	5%	0.221	2238	494
8	अनीता राज W/o श्री ईश्वर सिंह ठाकुर	05/ 12-06-20	रेत	9880	156	4.415	5%	0.221	2238	494
9	अनीता राज W/o श्री ईश्वर	06/13-06-20	रेत	9880	156	4.415	5%	0.221	2238	494

	सिंह ठाकुर									
10	अनीता राज W/o श्री ईश्वर सिंह ठाकुर	07/ 13-06-20	रेत	9880	156	4.415	5%	0.221	2238	494
11	अनीता राज W/o श्री ईश्वर सिंह ठाकुर	11/ 14-06-20	रेत	4940	78	2.207	5%	0.110	2238	247
12	अनीता राज W/o श्री ईश्वर सिंह ठाकुर	12/ 15-06-20	रेत	9880	156	4.415	5%	0.221	2238	494
13	अनीता राज W/o श्री ईश्वर सिंह ठाकुर	13/ 16-06-20	रेत	4940	78	2.207	5%	0.110	2238	247
14	अनीता राज W/o श्री ईश्वर सिंह ठाकुर	18/ 17-06-20	रेत	9880	156	4.415	5%	0.221	2238	494
15	अनीता राज W/o श्री ईश्वर सिंह ठाकुर	21/ 17-06-20	रेत	9880	156	4.415	5%	0.221	2238	494
16	मेहता ब्रोस हार्डवेयर, लुहरी	02429/ 16-03-21	रेत	9880	150	4.245	5%	0.212	2327	494
17	मेहता ब्रोस हार्डवेयर, लुहरी	02468/ 19-03-21	रेत	9880	150	4.245	5%	0.212	2327	494
18	मेहता ब्रोस हार्डवेयर, लुहरी	02451/ 18-03-21	रेत	9880	150	4.245	5%	0.212	2327	494
19	मेहता ब्रोस हार्डवेयर, लुहरी	02450/ 18-03-21	रेत	9880	150	4.245	5%	0.212	2327	494
20	मेहता ब्रोस हार्डवेयर, लुहरी	02411/ 13-03-21	रेत	9880	150	4.245	5%	0.212	2327	494

21	मेहता ब्रोस हार्डवेयर, लुहरी	02416/ 14-03-21	रेत	9880	150	4.245	5%	0.212	2327	494
22	मेहता ब्रोस हार्डवेयर, लुहरी	02428/ 16-03-21	रेत	9880	150	4.245	5%	0.212	2327	494
23	मेहता ब्रोस हार्डवेयर, लुहरी	02415/ 14-03-21	रेत	9880	150	4.245	5%	0.212	2327	494
24	मेहता ब्रोस हार्डवेयर, लुहरी	02323/ 02-03-21	रेत	7440	150	4.245	5%	0.212	1753	372
25	मेहता ब्रोस हार्डवेयर, लुहरी	02364/ 05-03-21	रेत	9000	150	4.245	5%	0.212	2120	450
26	मेहता ब्रोस हार्डवेयर, लुहरी	02397/ 10-03-21	रेत	9880	150	4.245	5%	0.212	2327	494
27	मेहता ब्रोस हार्डवेयर, लुहरी	02398/ 10-03-21	रेत	9880	150	4.245	5%	0.212	2327	494
28	मेहता ब्रोस हार्डवेयर, लुहरी	02402/ 12-03-21	रेत	9880	150	4.245	5%	0.212	2327	494
29	मेहता ब्रोस हार्डवेयर, लुहरी	02403/ 12-03-21	रेत	9880	150	4.245	5%	0.212	2327	494
30	मेहता ब्रोस हार्डवेयर, लुहरी	02410/ 13-03-21	रेत	9880	150	4.245	5%	0.212	2327	494
31	मेहता ब्रोस हार्डवेयर, लुहरी	02481/ 21-03-21	रेत	15000	228	6.452	5%	0.323	2325	750
									कुल योग	**14910**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2022- 244 दिनाँक 15.09.2022 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मुहान के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

अतः वाइडस की कटौती न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा प्रश्नात्मक राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

13. आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती कम करने के कारण ₹0.13 लाख का अधिक भुगतान करना

हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री विभाग की अधिसूचना संख्याः Ind-II(F)/6-14/2014-vol-I दिनांक 10.02.2022 के अनुसार खनन सामग्री जैसे रेत/बजरी/पत्थर इत्यादि पर सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। विकास/निर्माण कार्य पर उपयोग की जाने वाली सामग्री (रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि) के लिए सप्लायर/आपूर्तिकर्ता माईनिंग अधिकारी से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा यदि वह प्रमाण पत्र प्राप्त हीं करता है तो ग्राम पंचायत द्वारा बिल की अदायगी करते समय रॉयल्टी की कटौती करके राशि को राजकीय कोष के शीर्ष 0853–102–01–05 में जमा किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्य बिलों की जाँच में पाया गया कि कार्य स्थलों पर रेत बजरी, पत्थर का उपयोग किया गया था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा सप्लायर के बिल से न तो रायल्टी की कटौती की गई थी और न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था जिस कारण निम्न विवरणानुसार आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/संविदाकार को ₹12666 का अधिक भुगतान किया गया था। जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	मात्रा CFT	मात्रा CUM	निर्धारित फैक्टर	मात्रा (मीट्रिक जन)	रॉयल्टी (प्रति मीट्रिक जन)	राशि
1	अनीता राज W/o श्री ईश्वर सिंह ठाकुर	28/22-06-20	रेत	9880	156	4.415	1.6	7.064	60	424
2	अनीता राज W/o श्री ईश्वर सिंह ठाकुर	29/23-06-20	रेत	9880	156	4.415	1.6	7.064	60	424
3	अनीता राज W/o श्री ईश्वर	30/24-06-20	रेत	9880	156	4.415	1.6	7.064	60	424

	सिंह ठाकुर									
4	अनीता राज W/o श्री ईश्वर सिंह ठाकुर	32/27-06-20	रेत	9880	156	4.415	1.6	7.064	60	424
5	अनीता राज W/o श्री ईश्वर सिंह ठाकुर	01/06-06-20	रेत	9880	156	4.415	1.6	7.064	60	424
6	अनीता राज W/o श्री ईश्वर सिंह ठाकुर	03/06-06-20	रेत	9880	156	4.415	1.6	7.064	60	424
7	अनीता राज W/o श्री ईश्वर सिंह ठाकुर	04/10-06-20	रेत	9880	156	4.415	1.6	7.064	60	424
8	अनीता राज W/o श्री ईश्वर सिंह ठाकुर	05/12-06-20	रेत	9880	156	4.415	1.6	7.064	60	424
9	अनीता राज W/o श्री ईश्वर सिंह ठाकुर	06/13-06-20	रेत	9880	156	4.415	1.6	7.064	60	424
10	अनीता राज W/o श्री ईश्वर सिंह ठाकुर	07/13-06-20	रेत	9880	156	4.415	1.6	7.064	60	424
11	अनीता राज W/o श्री ईश्वर सिंह ठाकुर	11/14-06-20	रेत	4940	78	2.207	1.6	3.532	60	212
12	अनीता राज W/o श्री ईश्वर सिंह ठाकुर	12/15-06-20	रेत	9880	156	4.415	1.6	7.064	60	424
13	अनीता राज W/o श्री ईश्वर सिंह ठाकुर	13/16-06-20	रेत	4940	78	2.207	1.6	3.532	60	212

14	अनीता राज W/o श्री ईश्वर सिंह ठाकुर	18/17-06-20	रेत	9880	156	4.415	1.6	7.064	60	424
15	अनीता राज W/o श्री ईश्वर सिंह ठाकुर	21/17-06-20	रेत	9880	156	4.415	1.6	7.064	60	424
16	मेहता ब्रोस हार्डवेयर, लुहरी	02429/ 16-03-21	रेत	9880	150	4.245	1.6	6.792	60	408
17	मेहता ब्रोस हार्डवेयर, लुहरी	02468/ 19-03-21	रेत	9880	150	4.245	1.6	6.792	60	408
18	मेहता ब्रोस हार्डवेयर, लुहरी	02451/ 18-03-21	रेत	9880	150	4.245	1.6	6.792	60	408
19	मेहता ब्रोस हार्डवेयर, लुहरी	02450/ 18-03-21	रेत	9880	150	4.245	1.6	6.792	60	408
20	मेहता ब्रोस हार्डवेयर, लुहरी	02411/ 13-03-21	रेत	9880	150	4.245	1.6	6.792	60	408
21	मेहता ब्रोस हार्डवेयर, लुहरी	02416/ 14-03-21	रेत	9880	150	4.245	1.6	6.792	60	408
22	मेहता ब्रोस हार्डवेयर, लुहरी	02428/ 16-03-21	रेत	9880	150	4.245	1.6	6.792	60	408
23	मेहता ब्रोस हार्डवेयर, लुहरी	02415/ 14-03-21	रेत	9880	150	4.245	1.6	6.792	60	408
24	मेहता ब्रोस	02323/	रेत	7440	150	4.245	1.6	6.792	60	408

	हार्डवेयर, लुहरी	02-03-21								
25	मेहता ब्रोस हार्डवेयर, लुहरी	02364/ 05-03-21	रेत	9000	150	4.245	1.6	6.792	60	408
26	मेहता ब्रोस हार्डवेयर, लुहरी	02397/ 10-03-21	रेत	9880	150	4.245	1.6	6.792	60	408
27	मेहता ब्रोस हार्डवेयर, लुहरी	02398/ 10-03-21	रेत	9880	150	4.245	1.6	6.792	60	408
28	मेहता ब्रोस हार्डवेयर, लुहरी	02402/ 12-03-21	रेत	9880	150	4.245	1.6	6.792	60	408
29	मेहता ब्रोस हार्डवेयर, लुहरी	02403/ 12-03-21	रेत	9880	150	4.245	1.6	6.792	60	408
30	मेहता ब्रोस हार्डवेयर, लुहरी	02410/ 13-03-21	रेत	9880	150	4.245	1.6	6.792	60	408
31	मेहता ब्रोस हार्डवेयर, लुहरी	02481/ 21-03-21	रेत	15000	228	6.452	1.6	10.324	60	619
									कुल योग	**12666**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या % SK/KLU/SAD/2022- 243 दिनाँक 15.09.22 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मुहान के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ, जोकि स्वतः आपत्तिजनक है ।

अतः सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता/फर्म से रॉयल्टी की कटौती न करने का कारण स्पष्ट किया जाए अन्यथा प्रश्नात्मक राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

14. स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹ 0.10 लाख की वसूली न करना

सचिव ग्राम पंचायत मुहान द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2020.2021 व 2021.2022 में विभिन्न फर्मो व व्यक्तियों को भुगतान किया गया था, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹ 9693 की स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी । आयकर की धारा 194 (c) में विहित प्रावधान के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या/दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	आयकर की कटौती दर	आयकर की राशि
1	श्री श्रवण कुमार गाँव व डाकघर चुरढ , सुंदरनगर जिला मंडी	112/29-05-20	एक्सकेवेटर मशीन का प्रयोग	30000	0.75%	225
2	श्री श्रवण कुमार गाँव व डाकघर चुरढ , सुंदरनगर जिला मंडी	640/06-06-20	एक्सकेवेटर मशीन का प्रयोग	30000	0.75%	225
3	श्री श्रवण कुमार गाँव व डाकघर चुरढ , सुंदरनगर जिला मंडी	641/06-06-20	एक्सकेवेटर मशीन का प्रयोग	19000	0.75%	143
4	मैसर्ज न्यू शर्मा मोटर्स सरकारी ठेकेदार आनी	854/07-06-20	एक्सकेवेटर मशीन का प्रयोग	30000	1.50%	450
5	मैसर्ज न्यू शर्मा मोटर्स सरकारी ठेकेदार आनी	855/09-06-20	एक्सकेवेटर मशीन का प्रयोग	19000	1.50%	285
6	श्री रफ्तार सिंह ठाकुर	89/30-06-20	एक्सकेवेटर मशीन का प्रयोग	74800	0.75%	561
7	मैसर्ज न्यू शर्मा मोटर्स	860/12-06-20	एक्सकेवेटर	30000	0.75%	450

	सरकारी ठेकेदार आनी		मशीन का प्रयोग			
8	श्री श्रवण कुमार गाँव व डाकघर चुरढ , जिला मंडी	643/13-06-20	एक्सकेवेटर मशीन का प्रयोग	30000	0.75%	225
9	श्री श्रवण कुमार गाँव व डाकघर चुरढ , सुंदरनगर जिला मंडी	644/15-06-20	एक्सकेवेटर मशीन का प्रयोग	14000	0.75%	105
10	श्री श्रवण कुमार गाँव व डाकघर चुरढ , सुंदरनगर जिला मंडी	118/21-06-20	एक्सकेवेटर मशीन का प्रयोग	48500	0.75%	364
11	श्री श्रवण कुमार गाँव व डाकघर चुरढ , सुंदरनगर जिला मंडी	119/27-06-20	एक्सकेवेटर मशीन का प्रयोग	48500	0.75%	364
12	ख्याला राम ठाकुर गाँव काष्टा	55/24-11-20	एक्सकेवेटर मशीन का प्रयोग	49200	0.75%	369
13	रफ्तार सिंह ठाकुर	84/14-03-22	एक्सकेवेटर मशीन का प्रयोग	49500	0.75%	371
14	श्री श्रवण कुमार गाँव व डाकघर चुरढ , सुंदरनगर जिला मंडी	576/01-03-20	एक्सकेवेटर मशीन का प्रयोग	48000	0.75%	360
15	श्री श्रवण कुमार गाँव व डाकघर चुरढ , सुंदरनगर जिला मंडी	585/05-03-20	एक्सकेवेटर मशीन का प्रयोग	48000	0.75%	360
16	श्री श्रवण कुमार गाँव व डाकघर चुरढ , सुंदरनगर जिला मंडी	586/09-03-20	एक्सकेवेटर मशीन का प्रयोग	48000	0.75%	360
17	श्री श्रवण कुमार गाँव व डाकघर चुरढ ,	656/20-10-20	एक्सकेवेटर मशीन का	49500	0.75%	371

	सुंदरनगर जिला मंडी		प्रयोग			
18	श्री श्रवण कुमार गाँव व डाकघर चुरढ , सुंदरनगर जिला मंडी	122/16-07-20	एक्सकेवेटर मशीन का प्रयोग	41000	0.75%	308
19	श्री श्रवण कुमार गाँव व डाकघर चुरढ , सुंदरनगर जिला मंडी	657/26-10-20	एक्सकेवेटर मशीन का प्रयोग	49500	0.75%	371
20	श्री श्रवण कुमार गाँव व डाकघर चुरढ , सुंदरनगर जिला मंडी	07/11-07-20	एक्सकेवेटर मशीन का प्रयोग	70950	0.75%	532
21	श्री श्रवण कुमार गाँव व डाकघर चुरढ , सुंदरनगर जिला मंडी	120/07-07-20	एक्सकेवेटर मशीन का प्रयोग	30000	0.75%	225
22	श्री श्रवण कुमार गाँव व डाकघर चुरढ , सुंदरनगर जिला मंडी	121/11-07-20	एक्सकेवेटर मशीन का प्रयोग	30000	0.75%	225
23	श्री श्रवण कुमार गाँव व डाकघर चुरढ , सुंदरनगर जिला मंडी	123/21-07-20	एक्सकेवेटर मशीन का प्रयोग	30000	0.75%	225
24	श्री श्रवण कुमार गाँव व डाकघर चुरढ , सुंदरनगर जिला मंडी	124/26-07-20	एक्सकेवेटर मशीन का प्रयोग	41000	0.75%	308
25	श्री श्रवण कुमार गाँव व डाकघर चुरढ , सुंदरनगर जिला मंडी	655/14-10-20	एक्सकेवेटर मशीन का प्रयोग	49500	0.75%	371
26	रफ्तार सिंह ठाकुर	06/06-07-20	एक्सकेवेटर मशीन का प्रयोग	49500	0.75%	371
27	मैसर्ज न्यू शर्मा मोटर्स सरकारी ठेकेदार आनी	1851/29-06-20	एक्सकेवेटर मशीन का प्रयोग	78000	1.50%	1170
					कुल	**9693**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2022-248 दिनाँक 16 .09.2022 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मुहान के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ, जोकि स्वतः आपत्तिजनक है ।

अत : स्त्रोत पर कर की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मो व व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

15. निर्धारित मजदूरी दर से अधिक दर पर गणना करके ₹ 0.06 लाख का अधिक व्यय ।

ग्राम पंचायत मुहान के अंकेक्षण के दौरान मनरेगा निधि की माप पुस्तिकाओं व मस्ट्रोल की जांच में पाया गया कि वर्ष 2020-21 में **₹707.256** मजदूरी दर DPR में निर्धारित की गयी थी । जबकि माप पुस्तिकाओं की जांच में पाया गया कि मजदूरी के भुगतान हेतु निर्धारित दर से अधिक दर पर भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र० स०	मस्ट्रोल संख्या/दिनांक	कार्य का नाम	एम बी संख्या	एम बी पृष्ट संख्या	मद का नाम	मात्रा CU M	एम बी के अनुसार दर	भुगतान की गयी राशि	वर्ष 2020-21 में डीपीआर दर	वास्तविक भुगतान	अधिक भुगतान (09-11)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	885/ 06-06-20	भूमि सुधार शेर सिंह पकरेड	15925	45	Extraction collection of stone &stacking at site hard stone by manual labour	3	1014	3042	707.256	2122	920
2	880/ 06-06-20	भूमि सुधार लाल दास पकरेड	15925	5	Extraction collection of stone &stacking at site hard stone by manual labour	3	800	2400	707.256	2122	278
3	882/ 06-06-20	भूमि सुधार लाल दास बशावल	15925	4	Extraction collection of stone &stacking at site hard stone by manual labour	20	895	17900	707.256	14145	3755
4	883/ 06-06-20	भूमि सुधार पूर्ण चंद खडोरण	15925	42	Extraction collection of stone &stacking at site hard stone by manual labour	10	840	8400	707.256	7073	1327
		कुल योग						**31742**		**25461**	**6280**

वर्णित अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD/2022- 242 दिनाँक 15.09.22 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मुहान के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ, जोकि स्वतः आपत्तिजनक है ।

अत : अधिक दर पर मजदूरी का भुगतान करने का नियमानुसार कारण स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गयी राशि की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

16. विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.01 लाख की कम वसूली करना

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में 200 प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400 अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अवधि 01.04.20 से 31.03.2022 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निम्न विवरणानुसार ₹1000 की कम वसूली की गई थी। जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	रजिस्टर क्रम संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	भुगतान योग्य राशि	प्राप्त राशि	अन्तर की राशि
1	20	Sh. Neetu Kumar	18/10/20	23/10/20	200	100	100
2	21	Sh.Chaman Lal	28/10/20	28/11/20	200	100	100
3	23	Sh.Sweetu Ram	11/12/2020	03/02/2021	400	200	200
4	24	Sh. Chandresh Kumar	30/04/2021	25/05/2021	200	NIL	200
5	25	Sh. Ghanshyam	03/07/2021	11/07/2021	200	NIL	200
6	27	Sh. Ajay Kumar	24/10/2021	17/11/2021	200	NIL	200
Total							**1000**

सचिव ग्राम पंचायत मुहान को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः SK/KLU/SAD-2022- 238 दिनाँक 13.09.2022 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ, जोकि स्वतः आपत्तिजनक है ।

अत : राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

17. नियमानुसार निवेश न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Fund) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेश किया जाना अपेक्षित है कि इन पर ब्याज के रूप अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सके । परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई है तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था । जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन में यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। नियमानुसार निवेश न करने के कारण पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस वारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार निवेश करना सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित् बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप -1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। अतः भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार निवेश रजिस्टर का निर्माण भी सुनिश्चित किया जाए।

18. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा रखे जाने वाले रिकॉर्ड का रख-रखाव न करना:-

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित अभिलेख रखा जाना अनिवार्य है।

(i) रोजगार रजिस्टर (B-9)

(ii) शिकायत रजिस्टर (B-11)

(iii) आवेदन पंजीकरण रजिस्टर (B-7)

(iv) परिसम्पति रजिस्टर (B-8)

ग्राम पंचायत मुहान द्वारा उपरोक्त अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में अपेक्षित अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

19. रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर नियमानुसार न रखा जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13(5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत /जारी खाली रसीदों का प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप "4" के अनुसार बनाये गए स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम पंचायत मुहान द्वारा रसीदों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

20 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

21 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों के रजिस्टर का रख रखाव अधूरा	--	103

	तथा नियमानुसार नहीं किया गया है।		
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी	--	15(1)
5	वर्गीकृत सार	8	29(4)
6	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
10	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
11	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
12	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	------	31
13	बिल रजिस्टर	13	48
14	सहायता अनुदान रजिस्टर, हि0प्र0 पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34

अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22. प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

23. **लघु आपति विवरणिका:-**यह अलग से जारी नहीं की गई है।

24. **निष्कर्ष:-**लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/–
(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15) (3)67/22 खण्ड–1–1941–1944 दिनांक 13.03.2023 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0प्र0।

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड आनी, जिला कुल्लू, हि0प्र0।

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत मुहान, विकास खण्ड आनी, जिला कुल्लू–172026 हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009